भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4572

(दिनांक 30.03.2022 को उत्तर के लिए)

लंबित मामले

4572. श्री एस. मुनिस्वामी:
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्लेः
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सिविल सेवकों के संवर्ग-आबंटन के संबंध में बड़ी संख्या में मामले न्यायालयों में लंबित हैं;

(ख) क्या सरकार ने सिविल सेवकों के संवर्ग-प्रबंधन की प्रक्रिया और अव्यवस्था, यदि कोई हो, को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया है; और

(ग) क्या सिविल सेवकों के उनके गृहराज्यों में मौजूदा कार्यकाल को बढ़ाने या घटाने का कोई विचार है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री और प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ग) : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13013/2/2016-अभासे-I के माध्यम से जारी संवर्ग आबंटन नीति (सीएपी) के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) अधिकारियों का संवर्ग आवंटन संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण नामतः भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के संबंध में गृह मंत्रालय और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। एआईएस अधिकारियों द्वारा समय-समय पर संवर्ग आबंटन के संबंध में न्यायालयों/प्राधिकरणों के समक्ष दायर किए गए मामलों पर संबंधित सीसीए द्वारा कार्रवाई की जाती है। संवर्ग प्रबंधन को संबंधित एआईएस संवर्ग नियमावली के माध्यम से विनियमित किया जाता है।

*****